



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228527
CG-DL-E-28072021-228527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2757]
No. 2757]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SHRAVANA 5, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2021

का.आ. 2963(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां० आ० 2713 (अ), तारीख 11 अगस्त 2020, भारत के राजपत्र सं० 2407 तारीख 11 अगस्त 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील सरदारपुर जिला धार राज्य मध्यप्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 25 जनवरी 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6की उपधारा (1)के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6की उपधारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6की उपधारा (4)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962की धारा 10के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची					
जिला: धार			राज्य: मध्यप्रदेश		
तहसील	ग्राम का नाम	सर्वे/प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरदारपुर	बरखेडा	111	00	02	03
		124	00	10	67
		140	00	24	90
		138	00	00	89
		137	00	12	10
		158	00	02	41
सरदारपुर	खूटपला	539/1	00	14	42
		540/1	00	02	03
		541	00	01	50
		564	00	00	20
		563	00	01	32
		560	00	13	28
		556	00	10	88
		561/2	00	03	75
		555	00	00	20
		554	00	08	43
		579	00	14	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		583	00	08	31
		584	00	06	93
		585	00	00	32
		521	00	06	15
		520	00	10	96
		587	00	00	99
		519	00	08	06
		517	00	03	11
		518	00	01	78
		600	00	11	55
		601	00	05	49
		599	00	00	69
		605	00	13	69
		606/1	00	11	13
		606/2	00	01	23
सरदारपुर	चन्दौडिया	37	00	03	83
		38	00	15	37
		41	00	07	88
		40	00	05	31
		43	00	02	92
		44	00	03	05
		45	00	11	04
		56	00	11	79
		54	00	06	38
		101	00	11	21
		103	00	14	77
		104	00	07	58

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		102	00	00	20
		106	00	04	50
		107	00	00	33
सरदारपुर	बणी	21	00	03	58
		20	00	01	42
		26	00	07	26
		25	00	04	44
		24	00	11	64
		23	00	05	45
		35	00	03	41
		36	00	02	24
		114	00	01	41
		53	00	01	83
		113	00	04	07
		112	00	04	70
		111	00	04	67
		109	00	05	35
		126	00	15	06
		125	00	02	48
		124	00	02	01
		123	00	04	07
		122	00	05	34
		137	00	01	85
		133	00	03	25
		136	00	05	62
		134	00	04	26
		135	00	03	16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		94	00	06	61
		150	00	00	41
		151	00	06	11
		152	00	01	27
		154	00	09	96
		168	00	02	28
		155	00	05	97
		156	00	18	38
		157	00	05	98
		327	00	02	01
		326	00	05	12
		324	00	02	65
		323	00	12	93
		322	00	02	01
		348	00	06	10
		321	00	10	11
		351	00	22	32
		352	00	06	52
		353	00	00	84
		364	00	01	02
		265	00	03	14
		376	00	00	82
		368	00	14	88
		367	00	07	14
		366	00	00	66

[फा.सं. आर-11025(15)/5/2020-ओ आर-I/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2021

S.O. 2963(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 2713 (E) Dated 11 August 2020 published in the Gazette of the India Gazette No 2407 dated 11 August, 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas Pipeline in Tehsil Sardarpur District Dhar In the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 25-Jan-2021. And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the LPG pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no, suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
District:Dhar			State: Madhya Pradesh		
Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sardarpur	Barkheda	111	00	02	03
		124	00	10	67
		140	00	24	90
		138	00	00	89
		137	00	12	10
		158	00	02	41
Sardarpur	Khuntpala	539/1	00	14	42
		540/1	00	02	03
		541	00	01	50
		564	00	00	20
		563	00	01	32
		560	00	13	28
		556	00	10	88
		561/2	00	03	75

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		555	00	00	20
		554	00	08	43
		579	00	14	10
		583	00	08	31
		584	00	06	93
		585	00	00	32
		521	00	06	15
		520	00	10	96
		587	00	00	99
		519	00	08	06
		517	00	03	11
		518	00	01	78
		600	00	11	55
		601	00	05	49
		599	00	00	69
		605	00	13	69
		606/1	00	11	13
		606/2	00	01	23
Sardarpur	Chandodiya	37	00	03	83
		38	00	15	37
		41	00	07	88
		40	00	05	31
		43	00	02	92
		44	00	03	05
		45	00	11	04
		56	00	11	79
		54	00	06	38
		101	00	11	21
		103	00	14	77
		104	00	07	58
		102	00	00	20
		106	00	04	50
		107	00	00	33
Sardarpur	Bani	21	00	03	58
		20	00	01	42
		26	00	07	26
		25	00	04	44

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		24	00	11	64
		23	00	05	45
		35	00	03	41
		36	00	02	24
		114	00	01	41
		53	00	01	83
		113	00	04	07
		112	00	04	70
		111	00	04	67
		109	00	05	35
		126	00	15	06
		125	00	02	48
		124	00	02	01
		123	00	04	07
		122	00	05	34
		137	00	01	85
		133	00	03	25
		136	00	05	62
		134	00	04	26
		135	00	03	16
		94	00	06	61
		150	00	00	41
		151	00	06	11
		152	00	01	27
		154	00	09	96
		168	00	02	28
		155	00	05	97
		156	00	18	38
		157	00	05	98
		327	00	02	01
		326	00	05	12
		324	00	02	65
		323	00	12	93
		322	00	02	01
		348	00	06	10
		321	00	10	11
		351	00	22	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		352	00	06	52
		353	00	00	84
		364	00	01	02
		265	00	03	14
		376	00	00	82
		368	00	14	88
		367	00	07	14
		366	00	00	66

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P.SOMAKUMAR, Under Secy.